शोध-पत्र का शीर्षक: संयुक्त राष्ट्र एवं समावेशी शिक्षा: वैश्विक परिप्रेक्ष्य, नीतियाँ एवं चुनौतियों का विश्लेषण

दिव्यांशु मिश्रा[1], डॉ. चंचला देवी सिंह[2]
[1] शोधार्थी, मेजर एस.डी. सिंह विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद, (उत्तर प्रदेश), 209749.
[2] सहायक आचार्य, सुपरवाइजर मेजर एस.डी. सिंह विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश), 209749

***सारांश (Abstract)*—समावेशी शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र ने समावेशी शिक्षा को मानवाधिकार, समानता, सामाजिक न्याय तथा सतत विकास के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं, विशेषकर यूनेस्को (UNESCO) और यूनिसेफ (UNICEF) ने विश्व स्तर पर समावेशी शिक्षा के विकास एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों, अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं, शैक्षिक नीतियों तथा सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। इसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, सलामांका घोषणा (1994), दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (2006) तथा 2030 सतत विकास एजेंडा के शैक्षिक प्रावधानों का विशेष अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। इसमें द्वितीयक स्रोतों के रूप में संयुक्त राष्ट्र एवं यूनेस्को के दस्तावेजों, पुस्तकों, शोध-पत्रों और शैक्षिक नीतियों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।

अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, सुलभ शैक्षिक वातावरण, समान अवसर, आधुनिक तकनीक, प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली तथा सरकारी एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र का समावेशी शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण एक समानतापूर्ण, न्यायपूर्ण एवं मानवतावादी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

***मुख्य शब्द* (*Index Terms*)—: संयुक्त राष्ट्र, समावेशी शिक्षा, यूनेस्को, यूनिसेफ, मानवाधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, सतत विकास लक्ष्य।**

I. प्रस्तावना (INTRODUCTION)

शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का आधार है। किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रगति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, विवेक, नैतिकता तथा सामाजिक चेतना प्रदान करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझता है और समाज के विकास में सक्रिय योगदान देता है।

परंतु ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के अवसर सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, भाषायी, सांस्कृतिक एवं शारीरिक भिन्नताओं के कारण अनेक बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रह गए। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी, बालिकाएँ तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदाय शिक्षा प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करते रहे हैं।

इन परिस्थितियों में समावेशी शिक्षा की अवधारणा का विकास हुआ। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत क्षमता, आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इस व्यवस्था में किसी भी विद्यार्थी को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा भाषायी स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता।

संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा को मानवाधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए विश्व के सभी देशों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र की

विभिन्न घोषणाओं एवं अभिसमयों ने समावेशी शिक्षा को वैश्विक शैक्षिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया है।

II. समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा

समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक समान शैक्षिक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों तथा भाषायी एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को भी समान महत्व दिया जाता है।

समावेशी शिक्षा केवल विद्यालय में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रणाली, विद्यालयी वातावरण तथा शिक्षण सामग्री को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाता है।

समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

1. प्रत्येक विद्यार्थी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना।
2. किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना।
3. व्यक्तिगत भिन्नताओं एवं विविधताओं का सम्मान करना।
4. विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था विकसित करना।
5. विद्यालय में सहयोगात्मक एवं सकारात्मक वातावरण बनाना।
6. प्रत्येक विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
7. शिक्षा की गुणवत्ता एवं समानता को बढ़ावा देना।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उसके व्यक्तित्व एवं क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है।

III. संयुक्त राष्ट्र का परिचय एवं शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग एवं मानवाधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व के देशों के बीच सहयोग स्थापित करने तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है।

संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा को मानव विकास का महत्वपूर्ण साधन माना है। इसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा शारीरिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नीतियों, घोषणाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्य देशों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अंतर्गत शिक्षा में समानता, लैंगिक न्याय, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, बाल अधिकार तथा आजीवन अधिगम को विशेष महत्व दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाएँ समावेशी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें यूनेस्को, यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संबंधी संस्थाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

IV. समावेशी शिक्षा के विकास में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख पहल

4.1 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) को स्वीकार किया। इस घोषणा के अनुच्छेद 26 में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार माना गया है।

इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा प्रारंभिक एवं बुनियादी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। इस घोषणा ने शिक्षा में समान अवसर एवं भेदभाव रहित व्यवस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय आधार तैयार किया।

4.2 शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध यूनेस्को अभिसमय, 1960

यूनेस्को ने वर्ष 1960 में Convention against Discrimination in Education स्वीकार किया। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, सामाजिक स्थिति एवं अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना था।

इस अभिसमय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सभी व्यक्तियों को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए। यह

समावेशी शिक्षा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पहल थी।

4.3 सभी के लिए शिक्षा की विश्व घोषणा, 1990

वर्ष 1990 में थाईलैंड के जोमटियन में आयोजित विश्व सम्मेलन में Education for All की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया। इस सम्मेलन में सभी बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों के लिए बुनियादी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाना तथा उन समूहों को शिक्षा से जोड़ना था जो विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित थे।

4.4 सलामांका घोषणा, 1994

वर्ष 1994 में स्पेन के सलामांका नगर में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सलामांका घोषणा (Salamanca Statement) तथा कार्ययोजना को स्वीकार किया गया।

इस घोषणा ने समावेशी शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान प्रदान की। इसमें यह विचार प्रस्तुत किया गया कि सामान्य विद्यालयों को सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए।

इस घोषणा के अनुसार विद्यालयों को ऐसी शिक्षण व्यवस्था अपनानी चाहिए, जिसमें दिव्यांग एवं अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4.5 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 2006

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) स्वीकार किया।

इस अभिसमय का अनुच्छेद 24 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें सदस्य देशों से अपेक्षा की गई है कि वे सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इस अभिसमय के प्रमुख प्रावधान हैं

- दिव्यांगता के आधार पर किसी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- आवश्यकतानुसार विशेष सहायता एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- विद्यालयों में सुलभ वातावरण विकसित किया जाना चाहिए।
- ब्रेल, सांकेतिक भाषा एवं सहायक तकनीकी साधनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

यह अभिसमय समावेशी शिक्षा को मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

4.6 सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4), 2015

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा स्वीकार किया। इसके अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य-4 निर्धारित किया गया।

SDG-4 का मुख्य उद्देश्य है—

सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।

इस लक्ष्य के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता, लैंगिक समानता, व्यावसायिक कौशल, दिव्यांग व्यक्तियों की शैक्षिक भागीदारी तथा वंचित समूहों के लिए समान अवसरों पर विशेष बल दिया गया है।

V. समावेशी शिक्षा में यूनेस्को की भूमिका

यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है।

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संस्था शिक्षा व्यवस्था में उपस्थित बाधाओं की पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के लिए सदस्य देशों को नीतिगत सहयोग प्रदान करती है।

यूनेस्को की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं

1. सभी विद्यार्थियों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को प्रोत्साहित करना।
2. दिव्यांग एवं वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।
3. शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
4. पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में आवश्यक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना।

5. शिक्षा में लैंगिक समानता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करना।
6. शिक्षा संबंधी अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

यूनेस्को की वर्ष 2020 की Global Education Monitoring Report का शीर्षक Inclusion and Education: All Means All है। यह रिपोर्ट इस विचार को मजबूत करती है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी विद्यार्थी को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

VI. समावेशी शिक्षा में यूनिसेफ की भूमिका

यूनिसेफ (United Nations Children's Fund) संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है, जो बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए कार्य करती है।

यूनिसेफ का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह संस्था विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित बच्चों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयास करती है।

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ की प्रमुख भूमिकाएँ हैं

1. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
2. बालिकाओं की शिक्षा एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
3. आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना।
4. विद्यालयों में सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण विकसित करना।
5. शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान एवं पुनः नामांकन को प्रोत्साहित करना।
6. आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा को जारी रखने में सहयोग देना।

यूनिसेफ का दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर शिक्षा एवं विकास का अवसर मिलना चाहिए।

VII. समावेशी शिक्षा एवं मानवाधिकार

समावेशी शिक्षा का मानवाधिकारों से गहरा संबंध है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक सहभागिता का आधार भी है।

मानवाधिकार आधारित शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को समान महत्व दिया जाता है। किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति अथवा दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होता है।

समावेशी शिक्षा मानवाधिकारों के निम्नलिखित सिद्धांतों को मजबूत करती है

- समानता का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार।
- सम्मान एवं गरिमा का अधिकार।
- भेदभाव से मुक्ति।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता।
- स्वतंत्र व्यक्तित्व विकास का अधिकार।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

VIII. भारत में समावेशी शिक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र के विचारों की प्रासंगिकता

भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों एवं सामाजिक परिस्थितियों के लोग निवास करते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है।

भारत में समावेशी शिक्षा के विकास में निम्नलिखित कानून एवं नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: इस अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा शिक्षा में समान अवसरों को बढ़ावा देता है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: इस नीति में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) की शिक्षा तथा समावेशी एवं समान शैक्षिक अवसरों को विशेष महत्व दिया गया है।

भारत में समावेशी शिक्षा का विकास संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एवं समानता आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप महत्वपूर्ण है।

IX. समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, व्यवहार, आत्मविश्वास एवं सामाजिक दृष्टिकोण के विकास में भी योगदान देता है।

समावेशी कक्षा में शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति, क्षमता, रुचि एवं आवश्यकता अलग-अलग हो सकती है।

शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं—

1. सभी विद्यार्थियों के साथ समान एवं सम्मानजनक व्यवहार करना।
2. विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना।
3. विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना।
4. कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण विकसित करना।
5. दिव्यांग विद्यार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।
6. विद्यार्थियों में सहयोग, सहिष्णुता एवं संवेदनशीलता विकसित करना।
7. अभिभावकों एवं विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करना।

एक प्रशिक्षित एवं संवेदनशील शिक्षक समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

X. समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की भूमिका

समावेशी शिक्षा के प्रभावी संचालन के लिए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करना आवश्यक है।

परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

समावेशी पाठ्यक्रम में विविधता, समानता, सामाजिक न्याय एवं सहयोग को स्थान दिया जाना चाहिए।

मूल्यांकन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम क्षमता एवं प्रगति का आकलन किया जा सके। इसके लिए मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक कार्य, परियोजना कार्य तथा सतत मूल्यांकन जैसी विधियों का उपयोग किया जा सकता है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त समय, सहायक उपकरण, ब्रेल सामग्री एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इस प्रकार समावेशी पाठ्यक्रम एवं लचीली मूल्यांकन प्रणाली प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति में सहायक होती है।

XI. समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

समावेशी शिक्षा की अवधारणा महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

1. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी: सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को समझने एवं उनके अनुसार शिक्षण करने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव एक प्रमुख समस्या है।
2. आधारभूत सुविधाओं की कमी: अनेक विद्यालयों में रैंप, रेलिंग, सुलभ शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
3. सामाजिक भेदभाव: जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति एवं दिव्यांगता के आधार पर होने वाला भेदभाव शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है।
4. आर्थिक समस्याएँ: कमजोर परिवारों के बच्चों को पुस्तकें, डिजिटल उपकरण, परिवहन एवं अन्य शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।
5. शिक्षण सामग्री की कमी: ब्रेल पुस्तकें, सांकेतिक भाषा, ऑडियो सामग्री एवं सहायक तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता सीमित हो सकती है।
6. जागरूकता का अभाव: अभिभावकों, शिक्षकों एवं समाज में समावेशी शिक्षा के महत्व के प्रति पर्याप्त जागरूकता का अभाव है।
7. तकनीकी असमानता: ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।

8. नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन: योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के बावजूद विद्यालय स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

XII. समावेशी शिक्षा के प्रभावी विकास हेतु सुझाव

समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक एवं सामाजिक संस्थाओं को संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए।

प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं—

1. शिक्षकों के लिए नियमित समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
2. सभी विद्यालयों को दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुकूल बनाया जाए।
3. विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
4. विद्यालयों में सामाजिक भेदभाव एवं असमानता को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ।
5. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता एवं परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
6. आधुनिक तकनीक एवं सहायक उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जाए।
7. ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
8. अभिभावकों एवं समुदाय की विद्यालयी गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाई जाए।
9. शिक्षा संबंधी नीतियों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए।
10. संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूनिसेफ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत किया जाए।

XIII. शोध के प्रमुख निष्कर्ष (MAJOR FINDINGS)

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं

1. संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किया है।
2. समावेशी शिक्षा सामाजिक समानता एवं न्याय स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है।
3. यूनेस्को एवं यूनिसेफ ने समावेशी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
4. सलामांका घोषणा, 1994 ने समावेशी शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा प्रदान की।
5. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय, 2006 ने समावेशी शिक्षा को मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण प्रदान किया।
6. सतत विकास लक्ष्य-4 का उद्देश्य सभी के लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
7. समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाएँ एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण आवश्यक हैं।
8. भारत की शिक्षा नीतियों एवं कानूनी प्रावधानों में समावेशी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

XIV. शैक्षिक निहितार्थ (EDUCATIONAL IMPLICATIONS)

प्रस्तुत शोध का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निहितार्थ है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक विविधताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा को अधिक व्यावहारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। विद्यालयों में ऐसा वातावरण विकसित किया जाना चाहिए जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमताओं का विकास कर सके।

शिक्षा प्रशासकों एवं नीति निर्माताओं को भी समावेशी शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रभावी योजनाएँ बनानी चाहिए।

XV. निष्कर्ष (CONCLUSION)

समावेशी शिक्षा आधुनिक लोकतांत्रिक एवं मानवतावादी समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा को मानवाधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए विश्व स्तर पर समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948; सलामांका घोषणा, 1994; दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 2006 तथा सतत विकास लक्ष्य-4, 2015 जैसे अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज समावेशी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

यूनेस्को एवं यूनिसेफ ने शिक्षा में समानता, गुणवत्ता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन संस्थाओं ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुँचाना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा की प्रत्येक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी बनाना भी है।

समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को स्वीकार किया जाए। विद्यालयों में अनुकूल वातावरण, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक तकनीक एवं सुलभ शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का समावेशी शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान, स्वतंत्रता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। समावेशी शिक्षा केवल शैक्षिक व्यवस्था नहीं, बल्कि समानता, मानवता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित एक व्यापक सामाजिक दर्शन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (REFERENCES)

[1] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*. New York, NY, USA: United Nations, 1948.

[2] UNESCO, *Convention against Discrimination in Education*. Paris, France: UNESCO, 1960.

[3] UNESCO, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Salamanca, Spain: UNESCO, 1994.

[4] United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York, NY, USA: United Nations, 2006.

[5] UNESCO, *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris, France: UNESCO, 2009.

[6] UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education—All Means All*. Paris, France: UNESCO, 2020.

[7] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York, NY, USA: United Nations, 2015.

[8] भारत सरकार, *निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*, 2009.

[9] भारत सरकार, *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016*, 2016.

[10] भारत सरकार, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, 2020.

Online References

[11] United Nations. https://www.un.org

[12] UNESCO. https://www.unesco.org

[13] UNICEF. https://www.unicef.org

[14] United Nations Sustainable Development Goal 4. https://sdgs.un.org/goals/goal4